

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक / रीडर / 2021 / 242

दिनांक :- 12.8.21

मुकदमा नंबर 185/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. देराजराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी खट्टु तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।		1. चनणाराम पुत्र जेताराम 2. विरमाराम पुत्र जेताराम 3. चुन्नीदेवी पत्नी जेताराम 4. उगराराम पुत्र उमाराम 5. कालुराम पुत्र उमाराम 6. बालाराम पुत्र उमाराम 7. नारायणराम पुत्र उमाराम 8. अणसीदेवी पत्नी दानाराम 9. देवाराम पुत्र खुमाराम समी जाति जाट निवासी खट्टु 10. सालुराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी अकदडा 11. गोरखाराम पुत्र निम्बाराम जाति जाट निवासी अकदडा 12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।



आदेश

दिनांक :- 12.08.2021

उपर्युक्त प्रकरण मौजा खट्टु पटवार क्षेत्र खट्टु तहसील पचपदरा में मूल खसरा 1009/203 रकबा 11 बीघा व 1010/203 रकबा 11 बीघा कुल रकबा 22 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमीशनर शुल्क रूपर्य 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपर्य मात्र निर्धारित की जाती हैं, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा (S.D.O.) बालोतरा

दिनांक :- 12.8.21


क्रमांक / रीडर / 2021 / 243 - 247

1. तहसीलदार पचपदरा पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. सम्बन्धित थानाधिकारी पुलिस थाना ~~बालोतरा~~ को पालना हेतु पत्पपपपप

वारी क्षेत्र खट्टू तहसील पचपदरा को भेजकर लेख है किनिर्धारित तिथि का मय रेकॉर्ड
परिस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।

4. प्रार्थीगण देराजराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी खट्टू तहसील पचपदरा जिला बाडमेर
5. विप्रार्थीगण चनणाराम पुत्र जेताराम जाट वगै० निवासी खट्टू तहसील पचपदरा ।




उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O) बालोतरा